P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-9* ISSUE-3* November- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अपराध, पुलिस एवं न्यायलय-एक अवलोकन
Crime, Police and Court an Analysis

Paper Submission: 10/11/2021, Date of Acceptance: 23/11/2021, Date of Publication: 24/11/2021

भवानी प्रसाद यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर
विधि विभाग
शा.पी.डी. आर्ट्स एंड कॉमर्स,
रायगढ़ ,छत्तीसगढ़,भारत

सारांश

समाज में लगातार बढ़ते अपराधियों की संख्या समाज की शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को चुनौती प्रस्तुत कर रही है न्याय प्रशासन पुलिस न्यायालय जेल इत्यादि का प्रमुख उद्देश्य दोषियों को दंडित करना है क्या समाज में अपराध कम हो रहे हैं क्या अपराधियों में न्याय प्रशासन पुलिस न्यायालय जेल इत्यादि का भय खत्म हो गया है क्या नए प्रशासन इत्यादि में आवश्यक सुधार की आवश्यकता है प्रस्तुत अध्ययन में इस विषय पर गहन अध्ययन किया गया है अपराधियों को दंडित होने का प्रतिशत काफी कम होने के अपराधियों में दंड का भय जाता रहा है इस विषय पर क्राइम इन इंडिया के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है एवं कैसे समाज में कानून व्यवस्था या न्याय प्रशासन अपने से स्वतंत्र कार्य प्रणाली के द्वारा अपराधियों पर प्रभावी लगाम लगाने में सफल हो ताकि नागरिकों का विश्वास न्याय प्रशासन पर पुनः मजबूत हो सके!

Increase of Crime in Society in Serious Challenge to Judicial System and Police Administration. The Main Purpose of Judicial System (Which Includes Police, Court and Jail) is to Punished Criminal Whether There is Low Crime in Society? Whether There is Urgent refurn is Necessary in Judicial System ? The Answer is Yes to above all Generation The Present Study Will Anaylished Data on Published By The Crime in India Delhi. How The Law and order Situation will Maintained in Society. How The Present Law and Order Agency Should Function to their Best Capacity so that there Agency Controlled there Crime and criminal effectively.

मुख्य शब्दः: अपराध, बंदी, आरोपपत्र दाखिल, दोषी, निर्दोष,न्याय प्रणाली, पुलिस, न्यायालय,
Keywords: Crime, Prisoner, Charge Sheet Filed, Guilty, Innocent, Justice System, Police, Court.

प्रस्तावना

विधिशास्त्रियों शिक्षा बिंदु ने एवं अनेक न्याय-वेदों ने अपने-अपने ढंग से राज्य को परिभाषित किया है राज्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक संस्था या संगठन का व्यापक रूप है आधुनिक युग में राज्य के बिना विधि की कल्पना करना मुश्किल है राज्य संप्रभु शक्ति से संपन्न होता है एवं कानून का निर्माण करता है राज्य समाज में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का मौलिक एवं प्राथमिक कार्य करता है नागरिकों की आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है राज्य निर्मित विधि माननी के लिए समाज बाध्य हैं राज्य के हाथ में दंड कि शक्ति होती है विधि और नियमों का उल्लंघन करने वालों को राज्य दंडित करता है उत्पत्ति की दृष्टि से समाज पहले है और राज्य पश्चात भर्ती है समाज की वैध इच्छाओ हो तथा आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाना और सामाजिक विकास एवं लोक कल्याण का कार्य करना पड़ता है समाज से यह कहे व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य द्वारा बनाए गए कानून एवं नियमों का पालन करें समाज अपनी रीती रिवाजों परंपरा आदि पर निर्भर करता है, और राज्य कानून एवं प्रशासन पर निर्भर करता है समान उद्देश्य एवं समान इच्छा से ही दोनों का निर्माण होता है समाज एवं राज्य दोनों व्यक्तियों का शारीरिक मानसिक भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, दोनों का उद्देश्य एक है समाज में और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे ताकि व्यक्ति एक भयमुक्त वातावरण में अपना सर्वांगीण विकास कर सके! व्यक्ति स्वभाव से ही स्वार्थी व्यक्तिगत हितों तथा झगड़ालू प्रवृत्ति का है, और राजाओं की भांति शक्ति लोलुप होता है यदि राज्य का शक्ति का दंड का डर ना हो तो वह स्वच्छंद हो जाएगा और निजी स्वार्थ और लोभ पूर्ति के लिए नाना प्रकार के अवैध एवं उत्पीड़न कार्य करेगा अर्थात देश का कानून तोड़ेगा और समाज की शांति व्यवस्था भंग करेगा अन्य व्यक्तियों के शरीर का और संपत्ति का नुकसान पहुंचाएगा, अतः राज्य समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं नया प्रशासन के जरिए दंड व्यवस्था लागू करने समाज में देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने रखता है परंतु यह अकेला राज्य का बल नहीं है, जो विधि का पालन सुनिश्चित करता है, अन्य अनेक ऐसी बातें हैं, जो ऐसे सामाजिक अनुशस्ती पिता का भय स्वभाव एवं सुविधा जो विधि के पालन में सहायक होती है!

दंड के सिद्धांतों का दो वर्ग है, एक वर्ग का कहता है कि दंडित न्याय का उद्देश्य एवं लक्ष्य राज्य एवं समाज की सुरक्षा करना है एवं उसका विश्वास करना है, कल्याण में वृद्धि करना है, दूसरा वर्ग का कहना है, कि दंड का उद्देश्य या लक्ष्य प्रतिकार है, अपराधी को उस अपराध या उपकार के लिए क्लेश भोगना चाहिए जो उसने किया है एक वर्ग का सिद्धांत समाज शास्त्रियों के है, तो दूसरा वर्ग का सिद्धांत व्यक्तिवादी है!

अध्ययन अवधि

इस शोधपत्र को पूरा करने में 3 माह का समय लगा है, परंतु यह समय अन्य कार्य को भी करते हुए किया गया है, कक्षाएं लेने के बाद एवं अन्य कार्य करते हुए प्रतिदिन 1 घंटे का समय इस कार्य हेतु दिया गया !

अध्ययन का उद्देश्य

आपराधिक न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपराधी को दंडित करना है, दंड से भय उत्पन्न होता है, दर अनेक प्रकार के अपराध का नियंत्रक एवं औरोधन और अधिक है, दंड का न्याय प्रशासन का भय नहीं रहने से समाज में अपराध और कानून अवस्था में असंतुलन या आ जाएगा मनुस्मृति स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, कि यदि राजा दंड के भागी यों को दंड ना दे तो अधिक शक्तिशाली शक्तिहीन को निगल जाएंगे और किसी कि संपत्ति सुरक्षित नहीं रह जाएगी दंड पुलिस जेल न्यायालय के भय से ही सभी हीर कर्म में प्रक्ति होते है !

साहित्यावलोकन

समाज एवं बढ़ते अपराध पर बहुत विशाल साहित्य है समाज में वर्तमान अपराधिक ता पर विश्व के सभी अपराध शास्त्रियों ने विस्तार से लिखा है डॉक्टर वॉल्टर रेक्लश (Dr. Walter Reckless) ने संगठित अपराध पर विस्तार से अपने पुस्तक दी क्राइम प्रॉब्लम में लिखा है सदरलैंड ने अपने पुस्तक प्रिंसिपल क्रिमिनोलॉजी मैं भी बढ़ते अपराध पर प्रकाश डाला है ए चिनप्पा रेड्डी ने अपनी पुस्तक डेवलपिंग सोसाइट एंड पुलिस (Developing Society and Police 2017) पुलिस के कार्य प्रणाली प्रशासन में भी विस्तार से चर्चा की है प्रस्तुत विषय पर बहुत साहित्य है परंतु वर्तमान शोधपत्र में पिछले 11 वर्षों के आंकड़ों का प्रथम बार विश्लेषण किया गया है !

परिकल्पना इस शोधपत्र में निम्नलिखित परिकल्पना ऊपर अध्ययन किया गया है!

प्रथम

समय के अनुसार बढ़ते अपराधों की संख्या की तुलना में न्याय प्रशासन में आधारभूत ढांचा में परिवर्तन का आवश्यकता है!

द्वितीय

आर्थिक प्रगति के साथ अपराध की बढ़ोतरी एक गंभीर समस्या जिसका निराकरण अति आवशक है!

तृतीय

क्या वर्तमान न्याय प्रशासन पुलिस न्यायालय एवं जेल सक्षम है बढ़ते अपराधों की रोकने या दंडित करने में?

शोध पद्धति/ क्रियाविधि

इस शोधपत्र में सामाजिक विधिक शोध को अपनाया गया है, विधि का संबंध समाज आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धन प्रधान एवं न्याय व्यवस्था आदि से सीमित एवं प्रमाणित होता है, प्रस्तुत शोध पत्र में क्राइम इन इंडिया को आंकड़े जो कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो नई दिल्ली के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, एवं शोध पत्र उपलब्ध डेटा की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित है या शोध पत्र एक डॉक्ट्रिनल अथवा पारंपरिक अथवा अनुभव आश्रित विधिक शोध पद्धति पर आधारित है!

न्याय दर्शन एवं अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी इस शोधपत्र में 2006 से लेकर 2016 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है, 11 सालों का आंकड़ों की संख्या पर्याप्त है, 11 सालों के आंकड़ों के आधार पर भी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, प्रस्तुत अध्ययन में 2006 से 2016 तक कुल 11 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है, वास्तव में देखा जाए तो अपराध विहीन साम्राज्य का अस्तित्व एक कोरी कल्पना होगी वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कोई समाज नहीं होगा जहां अपराध और अपराधी का समस्या ना हो वास्तव में मनुष्य सामाजिक बनने के पूर्व और सामाजिक बनने के बाद भी स्वार्थ क्रोध ईश्या लोभ जैसे बुराई का शिकार हो रहा है, ऐतिहासिक दृष्टि से मानव समाज के विकास के पारंपरिक चरणों में सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के साथ अपराध की धारणा में भी परिवर्तन होते रहे हैं, प्राचीन विधि में अपराध एवं अपकृत्य में कोई अंतर नहीं था, वर्तमान में अपकृत्य एवं अपराध के स्पष्ट अंतर है एवं दोनों के लिए अलग कार्यवाही की प्रक्रिया एवं न्यायालय है!

आजादी के समय भारत गांवों का देश था लगभग 83% जनसंख्या गांव में रहती थी, आज भी जनसंख्या का अधिकांश भाग गांव में ही रहता है, परंतु कृषि के आधुनिकरण से कृषि कार्यों में अब लोगों को रोजगार मिलने की गुंजाइश कम हुई है, साथ ही ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि की वजह से लोगों को रोजगार की कठिन समस्या पैदा हो गई है, जिसकी वजह से हाल के वर्षों में गांवों से बड़ी संख्या में लोगों के नगरों की और प्रवाश किया है, इसके अलावा नागरिया जीवन की चमक दमक व सुख सुविधा ने भी अनेक ग्रामीणों को अपनी और आकर्षित किया किंतु जितनी संख्या में लोग गांव से शहरों में आए हैं, उतनी संसाधन शहर में नहीं था, सरकार की ओर से नगर नियोजन एवं नगरीय विकास प्रबंध के द्वारा किए गए प्रयास अपर्याप्त थे, परिणाम स्वरूप नगरों में झुग्गी-झोपड़ियों गंदी बस्तियों का विकास हुआ ! शहरों में अपराधों में अचानक वृद्धि हो गई, युवा मद्यपान नशीली वस्तुओं का सेवन,वेश्यावृत्ति दंगा- फसाद आदी समस्या पैदा हुई, अपराधियों को अपराध करते अपने में शहर उसकी बस्तियां सहायक हुई जमाखोरी जालसाजी ठगी उठाई गिरी लूट चोरी सफेदपोश अपराध में बढ़ोतरी हुई विभिन्न प्रकार के अपराध बढ़ने लगे जैसे साधारण एवं गंभीर अपराध को संगठित अपराध पेशेवर अपराधी, सफेदपोश अपराध, लैगिंग संबंधी अपराध, शरीर एवं संपत्ति संबंधी अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध लोग शांति के विरुद्ध अपराध इसके अलावा भ्रष्टाचार मिलावट उसको एवं तस्करी इस प्रकार के विभिन्न श्रेणी के अपराध शहरीकरण के दुष्प्रभाव को रूप में प्रकट होने लगी इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गों में भी अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगी बाल अपराधियों आज एक चिंताजनक समस्या हो गई है, बाल अपराधियों का गंभीर अपराध में भी साधना दिख रही है, दूसरी तरफ महिलाएं में भी अपराधों की बढ़ती संख्या दिखने लगी है, महिलाएं द्वारा वेश्यावृत्ति उठाई गिर

डकैती लूट चोरी साथ छुपाने अपराधिक षड्यंत्र आसानी से किए जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में शराब के बढ़ते प्रचलन के कारण घरेलू अपराध एवं दिशाओं में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं में एवं बालकों में अपराधिक व्यवहार की प्रविति्त एक चिंतनीय पहलू है, भारत में अपराधों एवं उनका न्यायालय में आरोपित करना एवं दोषी पाए जाने पर दंड देना एक नजर डालें तो कहीं भी आज की अपराधिक न्याय व्यवस्था के द्वारा अपराध में कभी नजर नहीं आ रही है, क्राइम इन इंडिया 2006 से 2016 तक के आंकड़ों जो कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए हैं, तालिका का अवलोकन करने पर यह दर्शाता है कि भारत में अपराधिक न्याय व्यवस्था रूप पूर्ण रूप से अपराध रोकने में अपराधियों को दंडित करने में सक्षम नहीं है!

तालिका 1

वर्ष	बंदी बनाए गए	आरोप पत्र दाखिल किए गए प्रतिशत	दोषी पाए जाने का प्रतिशत
2006	5102460	90.1%	72.6
2007	5733407	90.6%	73.9
2008	5938104	89.5%	73.9
2009	6675217	89.8%	78.3
2010	6750748	89.8%	81.3
2011	6252729	88.2%	77.8
2012	6041559	87.8%	73.6
2013	6640378	88.7%	76.6
2014	7229193	91.5%	79.9
2015	7029090	90%	77.0
2016	6130507	5536096%	2060822

विश्लेषण

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है, कि भारत में प्रति वर्ष 2006 से में जो कुछ 5102460 अपराध दर्ज किए गए थे, वह 2014 में बढ़कर 7229193 गए एवं 2016 में कुल 6130507 अपराध किए गए इन अपराधों में जो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए वह 2006 में 90% मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए उसमें से सिर्फ 72.6% मामलों में अपराधी दोषी पाए गए अर्थात कुल प्रतिशत लगभग एक तिहाई अपराधी छूट गए यार कहे एक तिहाई अपराधों में जो कि अपराध हुए पर किसी को भी दंडित नहीं किया जा सका, 2006 से लेकर 2016 तक अगर इस तालिका में नजर डालें तो निष्कर्ष निकलता है, कि प्रायः लगभग 89% को आसपास मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए एवं लगभग 77 प्रतिशत मामलों में यही अपराधियों को दंडित किया जा सका 23% अपराधी छूट गए इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं जैसे:-

प्रथम साक्ष्य की कमी या प्राप्त साक्ष्य साक्ष्य नहीं मिल पाना!

द्वितीय पुलिस के जांच का साक्ष्य जमा करने में मामले के लापरवाही या लापरवाही से कार्य करना!

तृतीय अपराधिक प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण छूट जाना!

चतुर्थ सही अपराधी को नहीं पकड़ पाना एवं अपराध होने के बाद देर से कार्यवाही करना!

पंचम

साक्ष्यों द्वारा अपना बयान बदल देना इत्यादि कारण हो सकते हैं, पर यह सत्य है कि एक तिहाई प्रकरण में अपराधियों को छूट जाना न्याय प्रशासन एवं अपराध के रोकथाम के लिए चिंता का विषय है, इसके अलावा भारत में एक और गंभीर समस्या है, कि बहुत प्रकरण में अपराध दर्ज ही नहीं हो पाती है अपराध दर्ज नहीं होने के बहुत कारण है, विषय लंबा हो जाएगा पर यह एक कड़वी सच्चाई है, कि बहुत अपराध दर्ज नहीं हो पाते हैं, और कमी कभी-कभी थाने में आकर भी दर्ज नहीं हो पाते हैं!

निष्कर्ष

हत्या एक गंभीर चिंता का विषय है जैसे कि ऊपर यह पाया गया कि दंड व्यवस्था समाज में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है, ताकि समाज में शांति व्यवस्था बने रहे लोग निर्भय निर्भय होकर समाज में रह सके परंतु ऐसा वर्तमान में दिखता नजर नहीं आता है, अपराधियों का राजनीतिक कारण एवं राजनीति में अपराधियों का प्रभाव पैसा इत्यादि कई कारण है, जिससे समाज में अपराध कम तो किया जा सकता है, संसाधन है परंतु हो नहीं पाता है!

सुझाव

प्रथम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के पूर्व जांच अधिकारी ही न्यायालय में प्रकरण की पैरवी करता था और उसके लिए उत्तरदाई था अर्थात यह कार्य पुलिस विभाग का था परंतु 1973 के बाद या कार्य सरकारी वकील को सौंप सौंपा गया जो कुछ समय के लिए राज्य द्वारा राजनीतिक पार्टी के संबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है, एवं अगर आरोपित छूट जाता है उस पर सरकारी वकील की कोई जवाबदेही की व्यवस्था नहीं है अतः यह कार्य अन्वेषण करता को ही सौंपा जाना चाहिए, जो कि एक वेतनभगी अधिकारी होगा !

दितीय

प्रथम अपराधी को छोड़कर अन्य आदतन अपराधी के साथ कठोर दंड दिया जाना चाहिए दंड का वह कठोर अपराधों के लिए जरूरी है

तृतीय

विचरण के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए जैसे कि फास्ट ट्रैक न्यायालय के मामले में होता है ऐसा सभी मामलों में होना चाहिए

चतुर्थ

उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने हेतु अंग्रेज के समय के पुलिस कानून का तत्काल बदल कर नया पुलिस मैनुअल तैयार कर लागू करने के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया है परंतु उसका आज तक पालन नहीं हो सका है अंग्रेज के समय पुलिस व्यवस्था को नागरिकों को दबाने के लिए प्रयोग किया जाता था वह आज स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी के रुप में कार्य करने के आरोप, आज सभी राज्य में सामान्य रूप से लागू होता है यह भी सर्च है कि आज सरकार द्वारा बहुत से पुराने अप्रिशिंग कानूनों को लॉ कमीशन के परीक्षण उपरांत रद्द किया जा रहा है उम्मीद है कि आजादी के अमृत महोत्सव में सरकार इस पर ध्यान देगी एवं अपराधिक ने विधि में आमूलचूल परिवर्तन जवाबदेही निर्धारित करते हुए लागू करेगी!

अध्ययन की सीमा

प्रस्तुत शोध पत्र आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है आंकड़े पूर्ण रूप से या शत प्रतिशत प्रमाणित नहीं होते हैं विधि मानव के व्यवहार से संबंधित है जो कि हर एक मानव में समान रूप से नहीं पाया जाता है जैसा कि विज्ञान के विषय में प्रयोगशाला में पाया जाता है मानव व्यवहार से संबंधित शोध में यह एक खाली रहती है।

आभार

इस शोधपत्र को तैयार करने में मेरे पुत्र के द्वारा बहुत सहयोग किया गया। पुत्री के द्वारा आंकड़ों को व्यवस्थित किया गया एवं श्री ..... के द्वारा समय से बिना त्रुटि के इस शोधपत्र को टाइप किया गया इन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिनके सहयोग के बिना शोधपत्र समय से तैयार नहीं हो पाता।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Crime in India राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो नई दिल्ली से प्रकाशित आंकड़े वर्ष 2001 से 2017 तक*
2. *Criminology Harman Mannheim 1993*
3. *The theory of legislation Jeremy Bentham 1986*
4. *The Criminal Problem Doctor Walter Reckless.*
5. *Principle of criminology Sutherland.*
6. *अपराधशास्त्र, दंडशास्त्र एवं पीड़ितशास्त्र : प्रो. एन.बी. पराजये 2017*
7. *अपराध एवं दंडशास्त्र: प्रो. मुरलीधर चतुर्वेदी*
8. *अपराध के सिद्धांत: डॉ. श्यामाधर सिंह*
9. *अपराध शास्त्र एवं अपराधिक प्रशासन: एम.एस. चौहान*
10. *सोसाइटी एंड दि क्रिमिनल: एम.जे. सेठना*
11. *क्रिमिनोलॉजी: पी गोस्वामी 1964*